Form No. III
फर्द अहकाम
(नियम 28)

App A

अदालत – सब डिविजनल ऑफिसर

मुकाम – फुलियाकलां

तेजमल जाट बनाम दगना चमार वगैरह

मुकदमा – 251(क) आर टी एक्ट

प्रकरण संख्या – 146/21

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म तामील से जारी हुए
...021	वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) आर टी एक्ट विरुद्ध अप्रार्थीगण प्रस्तुत किया गया। प्रार्थनापत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जावें। पत्रावली वास्ते विपक्षीगण की तलबी दिनांक 11.02.2022 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
11/2/022	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। P.O. सा अन्य कार्य में व्यस्त / ~~बाहर पधारे / अभियान में व्यस्त~~ ~~अवकाश पर~~ है। अतः पत्रावली आईन्दा दिनांक 20.4.22 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
20/4/22	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। P.O. सा अन्य कार्य में व्यस्त / बाहर पधारे / अभियान में व्यस्त / अवकाश पर है। अतः पत्रावली आईन्दा दिनांक 28/4/22 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
28/4/22	वकील प्रार्थी उप० अप्रार्थी वकील आज अनु० प्रकरण में प्रस्तावित रास्ता मौका रिपोर्ट प्राप्त होकर रेकार्ड पर उपलब्ध है। विपक्षी को प्रस्तुति जवाब का अवसर दिया जाकर पत्रावली वास्ते जवाब दि० 4/5/22 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी फुलिया कलां (भील)	

4/5/22 उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित। विपक्षी की ओर से जवाब प्रार्थनापत्र पेश हुआ, द्वितीय प्रति प्रार्थी पक्ष को दिलवायी गयी। पत्रावली वास्ते बहस दि० 6/5/22 को पेश हो।

6/5/22

वकील प्रार्थी उपस्थित। विपक्षी क्रम 1 स्वयं ने न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर जरिये प्रा० पत्र बहस के लिए समय चाहा। अवसर दिया जाकर पत्रावली वास्ते बहस उभयपक्ष दि० 11/5/22 को पेश हो।

11.05.2022

पत्रावली पैश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित। विपक्षी राज्य पक्ष तहसीलदार फुलियाकलां की और से पैरोकार अनुपस्थित। प्रार्थनापत्र पर बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस अप्रार्थी संख्या 01 ने मार्फत अधिवक्ता एक प्रार्थनापत्र बाबत आपत्ति प्रस्तावित रास्ता मौका रिपोर्ट प्रस्तुत किया, जिसे बाद अध्ययन/परीक्षण आधारहीन तथ्यो पर आधारित प्रस्तुत हुआ माना जाकर पोषणीय नहीं होने से प्रथम दृष्ट्या अस्वीकृत किया गया।

प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र विरूद्ध अप्रार्थी अन्तर्गत धारा 251क राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत बाबत नवीन कायमी रास्ता मंजूर किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया। निर्णय की एक प्रति पालनार्थ तहसीलदार फुलियाकलां को प्रेषित हो।

पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो।